[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 09/2026-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. -----(अ).- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

"(v) डाक तथा कूरियर सेवाओं को छोड़कर अन्य डिलीवरी सेवाएँ, सिवाय वहां जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 कि धारा 20 के खंड (v) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 14/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 17/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।